बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

आदेश सं0 :- 11/ विविध – 06–18/2013...................................दिनांक........................

आदेश

JKM Innfra Projects Ltd. को कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल कटिहार पत्रांक 765 दिनांक 04.06.09 द्वारा डिबार किया गया था तथा पत्रांक 1895 दिनांक 31.12.10 द्वारा डिबार से मुक्त किया गया था। कंपनी को डिबार अवधि (दि0 04.06.09 से 31.12.10) में गलत शपथ पत्र प्रस्तुत कर निविदा प्राप्त करने के आरोप के कारण विभागीय आदेश ज्ञापांक 2736 दिनांक 23.06.2014 द्वारा उनके निबंधन को काली सूची में डाल दिया गया।

उक्त आदेश के विरूद्ध कंपनी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC NO.- 11252/2014 दायर किया गया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 11.08.2014 को न्याय निर्णय पारित किया गया और निर्देश दिया गया कि रेसपोंन्डेन्ट इसकी भी जॉच करेंगे कि डिबार संबंधी नोटिस तथा डिबार आदेश जो पथ प्रमंडल, कटिहार द्वारा निर्गत था वह उनहें किस प्रकार प्राप्त हुआ यदि प्राप्त कराया गया है तो उसका साक्ष्य भी देखेंगे। साथ ही यह भी निदेश दिया गया है कि डिबार आदेश के आधार पर कंपनी का टेन्डर कहीं रिजेक्ट हुआ है, यदि ऐसा हुआ है तो याचिककर्त्ता इससे भिज्ञ थे।'' साथ ही माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कालीकरण आदेश संख्या 2736 दिनांक 30.06.2014 को रद्द कर दिया गया ।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.08.2014 में याचिकर्ता को निदेश दिया गया कि अभियंता प्रमुख के समक्ष पूरक शपथ पत्र दायर करगें। अभियंता प्रमुख समय निश्चित कर याचिकाकर्त्ता के अभ्यावेदन पर व्यक्तिगत सुनवाई करेंगे और उनके द्वारा दिये गये साक्ष्यो एवं तथ्यों पर विचार कर फ्रेश आदेश पारित करेंगे।

माननीय उच्च न्यायालय के न्याय निर्णय के अनुपालन में कंपनी के कालीकरण आदेश संख्या– 2737 दिनांक 23.06.2014 को विभागीय ज्ञापांक 5537 दिनांक 07.11.2014 द्वारा रद्द कर दिया गया जिसमें उल्लेख किया गया कि याचिकर्त्ता से प्राप्त अभ्यावेदन पर विचारोपरांत पुनः इस संबंध में नया आदेश निर्गत किया जायेगा।

याचिकर्त्ता कंपनी से अभ्यावेदन प्राप्त हुआ और उनकी व्यक्तिगत सुनवाई भी की गई। कंपनी द्वारा अपने अभ्यावेदन में पुनः कहा गया कि कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, कटिहार द्वारा डिबार किये जाने संबंधी पत्र उन्हें कभी प्राप्त नहीं हुआ है। साथ ही डिबार अवधि में पथ प्रमंडल बांका/जमुई तथा ग्रामीण कार्य प्रमंडल, सासाराम में कार्य आवंटित हाने का व्योंरा दिया गया।

मननीय उच्च न्यायालय के न्याय निर्णय के आलोक में कार्यपालक पथ प्रमंडल कटिहार से उनका पत्रांक 565 दिनांक 12.05.09 तथा 765 दिनांक 04.06.09 मे0 JKM Innfra Projects Ltd. को तामिला हाने के माध्यम की जानकारी तथा तामिला का साक्ष्य मांगा गया। इसके प्रति उत्तर में कार्यपालक अभियंता पथ प्रमंडल कटिहार द्वारा अपने पत्रांक 357 दिनांक 13.03.2015 द्वारा अपने पत्रांक 656 दिनांक 12.05.2009 तथा पत्रांक 765 दिनांक 04.06.2009 को तामिला से संबंधित साक्ष्य के रूप में निर्गत पंजी तथा उस तिथि को उपयोग किये गए डाक टिकट का व्योंरा भी दिया गया है। निर्गत पंजी में पत्रांक 656 दिनांक 12.05.2009 को पॉच रूपये टिकट पर साधारण डाक से भेजने का

प्रमाण है। इसी प्रकार पत्रांक 765 दिनांक 04.06.09 संवेदक के अतिरिक्त अधीक्षण अभियंता, पूर्णियाँ अंचल/ मुख्य अभियंता (या0) उत्तर बिहार उपभाग, दरभंगा तथा अभियंता प्रमुख – सह – अपर आयुक्त सह विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, पटना को प्रेषित है और डाक टिकट 5X4 =20 रूपये का उपयोग दर्शाया गया है। इससे विदित होता है कि संवेदक के साथ–साथ अन्य तीन पदाधिकारी को उक्त पत्र साधारण डाक से भेजा गया है, जिसमें पाँच रूपये का टिकट प्रयोग हुआ है। कार्यपालक अभियंता द्वारा इसकी पुष्टि नही की गई कि उन्हे उक्त पत्र तामिला हुआ या नही।

कंपनी को डिबार अवधि में कार्य आवंटित होने संबंधी कथन की सत्यापन की पुष्टि हेतु कार्यपालक अभियंता पथ प्रमंडल, बांका से पत्रांक 1042 दिनांक 23.02.2015 तथा कार्यपालक अभियंता पथ प्रमंडल, जमुई से पत्रांक 1043 दिनांक 23.02.2015 द्वारा प्रतिवेदन की मांग की गई। साथ ही कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमंडल, सासाराम से भी पत्रांक 1045 दिनांक 23.02.2015 से प्रतिवेदन मांगा गया।

कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमंडल, कार्य प्रमंडल सासाराम से प्रतिवेदन अप्राप्त है। कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, बांका द्वारा पत्रांक 305 दिनांक 13.06. 2015 तथा कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, जमुई द्वारा पत्रांक 153 दिनांक 14.03.2015 से प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है। जिससे स्पष्ट होता है कि कंपनी को डिबार अवधि के पूर्व पथ प्रमंडल, बांक्र में कार्य आवंटित हुआ है जबकि पथ प्रमंडल जमुई में डिबार अवधि दिनांक 04.06.09 से 31.12.10 के बीच तीन कार्य के लिए क्रमशः दिनांक 18.06. 2010 तथा 04.08.10 को आमंत्रित निविदाओं का कार्य पथ निर्माण विभाग के विभागीय निविदा समिति द्वारा विचारोपरांत क्रमशः दिनांक 30.07.10, 06.08.10 तथा 27.08.10 को आवंटित हुआ।

उपर्युक्त से विविद होता है कि संवेदक JKM Innfra Projects Ltd. को उपर्युक्त निविदा आवंटन के समय में पथ निर्माण विभाग भी संवेदक को निविदा में भाग लेने से डिबार किये जाने से भी भींज्ञ नही था।

जल संसाधन विभाग के अधीन पश्चिमी तटबंध प्रमंडल कुनौली में दिनांक 16.09. 09 को आमंत्रित निविदा में JKM Innfra Projects Ltd. द्वारा निविदा दिया गया था। उन्हे विभाग द्वारा कार्य आवंटित हुआ और दिनांक 10.11.09 को कार्यपालक अभियंता द्वारा एकरारनामा किया गया।

अभियंता प्रमुख पथ निर्माण विभाग द्वारा अपने पत्रांक 4475 दिनांक 22.10.2010 द्वारा संवेदक को कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, कटिहार के पत्रांक 765 दिनांक 04. 06.2009 द्वारा डिबार किये जाने की सूचना सभी कार्य विभागों को दी गई। उपर्युक्त से विदित होगा कि JKM Innfra Projects Ltd. का निविदा में भाग लिये जाने से डिबार किये जाने संबंधि पथ निर्माण विभाग के पत्र दिनांक 22.10.2010 के पूर्व ही जल संसाधन विभाग एवं पथ निर्माण विभाग में भी उन्हे कार्य आवंटन हुआ है। इसे यह भी स्पष्ट होता है कि संवेदक कार्यपालक अभियंता पथ निर्माण प्रमंडल कटिहार के पत्रांक 765 दिनांक 04.06.09 जिसे उन्हे निविदा में भाग लेने से डिबार किया गया था जिससे वे भिज्ञ नही थे ।

अतः संवेदक JKM Innfra Projects Ltd. सी0 84 ए ग्रेटर कैलाश नई दिल्ली द्वारा निविदा में भाग लेने से डिबार होने संबंधी तथ्य को छूपाकर पश्चिमी तटबंध प्रमंडल,

कुनौली में निविदा में भाग लिये जाने का आरोप प्रमाणित नही होता है। इस आधार पर संवेदक को उक्त आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

ह0/–

अभियंता प्रमुख (मध्य)

ज्ञापांक........................................ दिनांक........................................

प्रतिलिपिः– जे0के0एम0 इन्फा प्रोजेक्टस प्रा0लि0, एम0डी0 – श्री आर0 के जलान, सी–84, ग्रेटर कैलाश–1, न्यू दिल्ली – 110048 एवं कॉरपोरेट कार्यालय A 28 Sector – 9 Noida (U.P) Pin - 201301 को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–

अभियंता प्रमुख (मध्य)

ज्ञापांक.........3725......... दिनांक.........07-8-15.........

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव/ सचिव, जल संसाधन विभाग, पटना/ पथ निर्माण विभाग, पटना/लोक स्वास्थय अभियंत्रण विभाग, पटना/ भवन निर्माण विभाग, पटना/ लघु जल संसाधन विभाग, पटना/ ग्रामीण कार्य विभाग, पटना/ सभी मुख्य अभियंता जल संसाधन विभाग/अधीक्षण अभियंजा योजना एवं मोनेटरिंग अंचल–2/3/4 बाढ़ मो0 अंचल, पटना/ निदेशक, क्रय भंडार एवं सामाग्री प्रबंधन जल संसाधन विभाग बिहार, पटना/ आई.टी.मैनेजर को विभागीय, बेवसाईट पर डालने हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख (मध्य)